



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 40-पै०एण्डआर०-28/पाकालि/15-108-पी/1990, दिनांक : 12 जनवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

विषय-उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, एवं वितरण कम्पनियों के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई 2015 से महंगाई राहत की लागू करें।

उ०प्र० शासन के आदेश संख्या : 23/2015/सा-3-जी०आई०-21/दस-2015-301/2000-टी०सी०, दिनांक 16.12.2015, द्वारा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत दिनांक 01 जुलाई, 2015 से 119% स्वीकृत की गई है, के क्रम में राज्य सरकार की अनुरूपता में दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन पर कारपोरेशन के समस्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 01 जुलाई, 2015 से महंगाई राहत की 06% की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में दिनांक 01 जुलाई, 2015 से 06% की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की वर्तमान 113% की दर बढ़कर 119% हो जायेगी।
3. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपमें के रूप में लिया जायेगा।
4. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1054-डब्लू०सी०/राविप-औ०सं०-19-14(23) एफ-85, दिनांक 16.06.1998 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उपमहाप्रबन्धक (लेखा)/उपमुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान उपरोक्त 1 से 3 के अनुसार किया जायेगा।
5. महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

अध्यक्ष

संख्या : 40-पै०एण्डआर०-28/पाकालि/15/तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को-कानपुर/ट्रान्सको, लखनऊ।
3. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण कम्पनियाँ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

क्रमशः.....2

[Handwritten signature]

6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण कम्पनियों।
8. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
10. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103-कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुईयन, 12-आफ स्टेशन रोड़, लखनऊ।
12. महामंत्री, विद्युत पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (उ०प्र०), 86/92ख, रिसालदार पार्क, लखनऊ।
13. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू०पी०, पेंशनर्स एसोसिएशन, 18-बी, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ।
14. मण्डल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, 1-2 रघुनाथ नगर, आगरा/156, सिविल लाइन, बरेली/लाल बाबू चौराहा, राजे बाबू रोड़, बुलन्दशहर/अल्हादपुर, गोरखपुर/कानपुर रोड़, झांसी/पी०एन०बी० हाउस, बिरहाना रोड़, कानपुर/गुरुद्वारा रोड़, इलाही काम्पलेक्स, निकट वेव सिनेमा, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ/प्रभात नगर साकेत, मेरठ/पी०एन०बी० हाउस, राम गंगा बिहार फेस-11, मुरादाबाद/68, कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर/एस 20/56 डी, द माल, कैनोडी रोड़, वाराणसी।
15. प्रबन्धक (सी०पी०पी०सी०), सेन्ट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेन्टर पंजाब नेशनल बैंक हलवासिया मार्केट, लखनऊ।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. कट फाईल।

आज्ञा से,


(उमेश गुप्त)

संयुक्त सचिव(अरा०)

